न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः—संजय गोयल — आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्याः— 56/2012

चन्द्रवती बेवा मेढूं कौम फौजदार निवासी कचौरा तहसील व जिला आगरा (उ.प्र.) .....वादिनी

बनाम

1. मु0 प्रीतम बेवा रामसिंह
2. रामप्रसाद
3. मुंशी
4. ओमप्रकाश

पुत्रगण रामसिंह जाति फौजदार निवासी भवनपुरा तह. व जिला भरतपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः— 09—10—2019

वादिनी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अंतर्गत धारा 88—89—188 आर.टी.ए. विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादिनी वाके ग्राम जघीना नं. 4 तहसील भरतपुर स्थित खसरा नं0 9773/0.81 की खातेदार काश्तकार है। उक्त खसरा नंबर 9773/0.81 को भू—प्रबंध विभाग ने साविक खसरा नंबरान 4341/1—3, 4342/1—6, 4343/0—14 बिस्वा, 4393/0—15 बिस्वा से निर्मित किया है। वादिनी ने खसरा नंबर 4332 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 4340 रकबा 19 बिस्वा, 4341 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 4342 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा विपती पुत्र मंगल से क्रय किया था एवं मौके पर उसी रोज कब्जा प्राप्त किया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर नामान्तकरण स्वीकार किया जाकर वादिया को राजस्व अभिलेख में खातेदार काश्तकार दर्ज किया है।

वादिनी के क्रय किए गए खेत खसरा नंबरान 4341, 4342 के चिपटमा वजानिब पश्चिम खसरा नंबर 4343 व 4393 स्थित रहे हैं। जिनको वादिनी वयनामा के रोज से ही काबिज होकर काश्त कर रही है एवं खसरा नंबर 4341, 4342 को खसरा नंबर 4343, 4393 में मिला रखा है। अब उस खसरा नंबरान से मिलकर हाल खसरा नंबर 9773 निर्मित हुआ है। जिसमें वादिनी को 2 बीघा 9 बिस्वा का एवं प्रतिवादीगण के पति व पिता को 1 बीघा 9 बिस्वा का खातेदार काश्तकार गलत एवं मौके के विपरीत अंकित कर रखा है। जबकि प्रतिवादीगण का खसरा नंबर 4341, 4342, 4343, 4393 से कोई लेना देना नहीं है। भू–प्रबंध विभाग ने उक्त खसरा नंबर में उसके नाम गलत अंकन कर दिया है। सभी खसरा नंबर पर वादिनी अकेली ही काबिज है। चारों नम्बरों के बीच कोई मौके पर मेंड डोल नहीं है।

खसरा नंबर 9770/10636 वादिनी के नाम है एवं वह नंबर उपरोक्त खसरा नंबर 9773 के दिशा दक्षिण में स्थित है, जो कि खसरा नंबर 9770 से मिला हुआ है, जिसको प्रतिवादीगण काश्त कर रहे हैं। खसरा नंबर 9770 व 9770/10636 के मध्य कोई मेंड डोल नही है। वादिनी का इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मौके की स्थिति के विपरीत खसरा नंबर 9770/10636 को वादिनी के नाम कर रहा है, जिसको कलमजन किया जाना जरूरी है। खसरा नंबर 4341, 4342, 4343 व 4393 जो कि प्रतिवादीगण के पति व पिता के नाम हैं लेकिन वादिनी के कब्जे काश्त में हैं को वादिनी के नाम घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण के पिता व पति का नाम कलमजन किया जावे।

भू–प्रबन्ध विभाग ने मौके व रिकार्ड के विपरीत उक्त नम्बरान में 1 बीघा 9 बिस्वा का खातेदार प्रतिवादीगण के

पिता एवं पति को दर्ज कर रखा है। प्रतिवादीगण के पिता व पति देहान्त हो चुका है परन्तु दाखिला खारिज प्रतिवादीगण के नाम नहीं होने की वजह से अभी इन्द्राज प्रतिवादीगण के पिता व पति के ही नाम दर्ज हैं। इसलिए प्रतिवादीगण को मृतक रामसिंह के स्थान पर पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

आराजी खसरा नंबरान 4341, 4342, 4343 व 4393 से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। लेकिन प्रतिवादीगण गलत इन्द्राजों का लाभ उठाकर वादग्रस्त आराजी से वादिनी को जबरन बेदखल करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण ने दि0 24.02.2007 को वादिनी को आराजी से बेदखल करने की धमकी दी है। आराजी को अन्यत्र रहन वय मुन्तकिल करने पर आमादा हैं।

अंत में वादिनी ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि यह घोषित किया जावे कि वादग्रस्त आराजी की वादिनी खातेदार काश्तकार काबिज है व प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण के पिता व पति के नाम हो रहे 1 बीघा 9 बिस्वा के इन्द्राज काबिल कलमजन हैं। आराजी खसरा नंबर 9770/10636 जो कि प्रतिवादीगण के कब्जे मे हैं को प्रतिवादीगण के नाम कर दिया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। वादिनी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबंदी संवत 2060–2063 मिलान क्षेत्रफल नक्शा साविक की नकलें पेश की हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2,3,4 जरिये अभिभाषक उपस्थित आए। प्रतिवादी सं0 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण दि0 15.01.2008 को उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं0 2,3,4 को जवाब हेतु बार–बार अवसर दिया गया। किंतु इनका जवाब न आने पर दि0 04.02.2010 को इनका जवाब बंद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी में भी काफी अवसर दिए गए किंतु साक्ष्य न आने पर दि0 16.03.2012 को साक्ष्य वादी बंद की गई। इसी प्रकार साक्ष्य प्रतिवादी भी न आने पर दि0 14.02.2013 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। उनके द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर गौर किया।

वादपत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादिनी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर स्वयं को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर काबिज होना कहा है, परंतु वादिनी द्वारा इस प्रकार का कोई भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एक अहम दस्तावेज था, जिससे वादिनी के अधिकार तय किए जाने थे। वादपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादिनी द्वारा साविक खसरा नंबर 4341, 4342, 4343 व 4393 से हाल खसरा नंबर 9773 बनना अंकित किया है। परंतु वादिनी द्वारा खसरा नंबर 4332, 4340, 4341, 4342 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय करना बताया है और नामान्तकरण स्वीकृत होना अभिकथित किया है। परंतु पत्रावली पर वादिनी द्वार ऐसा कोई नामान्तकरण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादिनी के कथनों की पुष्टि होती हो। वादिनी खसरा नंबर 4343 व 4393 पर वयनामा के रोज से काबिज होकर काश्त करना बताती है। परंतु स्वयं वादिनी द्वारा ही वादपत्र की मद सं0 2 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खसरा नंबर 4332, 4340, 4341 व 4342 खरीद करना बताया। इस तथ्य से यह स्वतः ही साबित हो जाता है कि खसरा नंबर 4343 व 4393 को वादिनी द्वारा क्रय नहीं किया गया है तो वादिनी का उपरोक्त खसरा नंबरों पर काश्त करना कैसे साबित हो सकता है। अर्थात वादिनी का उक्त

खसरा नंबरान पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। स्वयं वादिनी द्वारा अपने वादपत्र में यह स्वीकार किया गया है कि खसरा नंबर 9770/10636 वादिनी के नाम है। उक्त खसरा नंबर किस आधार पर वादिनी की खातेदारी में आया, यह भी वादिनी ने स्पष्ट नहीं किया है। वादिनी द्वारा वादपत्र में यह भी कथन किया गया है कि खसरा नंबर 9773 के 01 बीघा 9 बिस्वा पर प्रतिवादीगण के इन्द्राज गलत हैं परन्तु वादिनी द्वारा इस प्रकार के कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की है, जिससे वादिनी का यह कथन साबित हो सके। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादिनी द्वारा अपने दावा के समर्थन में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं की गई है। वादिनी अपने वादपत्र को सिद्ध करने में पूणतः असफल रही है। वादिनी द्वारा यह भी प्रार्थना की गई है कि खसरा नं0 9770/10636 जो कि वादिनी की खातेदारी में है, परन्तु कब्जा प्रतिवादी का है, इसलिए प्रतिवादी को दे दिया जाए एवं खसरा नंबर 9773 से प्रतिवादी के नाम कलमजन कर दिया जाए। वादिनी के उक्त कथन से यह पूर्णरूपेण स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण विनिमय किए जाने संबंधित है। इस कारण प्रकरण में राजस्व हानि भी होने का अंदेशा प्रतीत होता है।

अतः वादिनी का वादपत्र साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं होने से काबिल खारिज है।

<u>अतः आज्ञा है कि</u>

दावा वादिनी साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री कायम हो। निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official